फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री शैलेन्द्रनाथ चौहान निवासी गांव काजियावास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा — प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 23/2026

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.05.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांकः सू0अ0/2026/142 दिनांक 04.05.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री शैलेन्द्रनाथ चौहान निवासी गांव काजियावास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्राप्त ऑनलाईन आवेदन दिनांक 11.02.2026 के क्रम में प्रार्थी को इस कार्यालय द्वारा पत्रांक सू0अ0/प्रतिलिपि/2026/137 दिनांक 10.03.2026 द्वारा उक्त आवेदन पत्र में वाछित सूचनओं के संबंध में आवेदनकर्ता को सूचना ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से सूचना आवेदनकर्ता को दे दी गई। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपील, अपीलार्थी प्रथम सुनवाई के दौराने ही खारीज करना फरमावे। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार वांछित सूचना न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण से संबंधित होने से वांछित सूचना के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने के हेतु न्यायिक प्रावधानो के अनुरूप सक्षम/संबंधित न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। इस संबंध में कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक सू0अ0/प्रतिलिपि/2026/137 दिनांक 10.03.2026 से अपीलार्थी को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम सूचित किया गया।	

अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा जरिये पत्रांक सू0अ0/प्रतिलिपि/2026/137 दिनांक 10.03.2026 से ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)